NORTH CAROLINA राज्य
समीक्षा बोर्ड

संबंध में: उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या.

ध्यानार्थ:

वादी नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुपालन में, यह वाद समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के समक्ष अपील डाकेट संख्या....... के तहत अपील रेफरी द्वारा दिए गए निर्णय पर **(दावेदार) (नियोक्ता) की याचिका** पर विचार करने के लिए आया था। अभिलेखित सबूत की संपूर्णता में समीक्षा की गई है।

(दावेदार) (नियोक्ता) अपनी याचिका में दावा करता है कि उसे (अनुसूचित सुनवाई की कोई नोटिस) (सुनवाई होने की तारीख के बाद अनुसूचित सुनवाई की कोई नोटिस) नहीं प्राप्त हुई है। (दावेदार) (नियोक्ता) आगे बताते हैं कि

बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि (दावेदार) (नियोक्ता) ने गवाही और अन्य सबूत देने हेतु साक्ष्य सुनवाई में उपस्थित होने में अपनी विफलता के लिए 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(26) में परिभाषित रूप में समुचित कारण दर्शाए हैं। उचित कारण को यथोचित कदम के अनुपालन में कानून द्वारा आवश्यक कार्य करने में विफल रहने के लिए एक कानूनी कारण की पर्याप्तता की हद तक कानूनी रूप से पर्याप्त कारण होना चाहिए। "यथोचित कदम" का अर्थ है विशेष परिस्थितियों में एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति से अपेक्षित और उसके द्वारा उपयोग किए गए सावधानी, एहतियात, सतर्कता, और उचित निर्णय के उपाय। 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(21). तदनुसार, (दावेदार( )नियोक्ता(के एक **नए सिरे से सुनवाई** के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाना चाहिए।

प्रतिप्रेषण पर सुनवाई के पूरा होने पर, अपील रेफरी निर्णय को रद्द कर देना होगा और तथ्यों की नई छानबीन और कानून के निष्कर्षों के साथ एक नया निर्णय जारी करना होगा। तथ्य की इस नई छानबीन में निरंतरता और प्रतिप्रेषण के सभी आदेशों सहित, वाद का प्रक्रियात्मक इतिहास, प्रतिप्रेषण के कारणों, प्रतिप्रेषण आदेश की औपचारिकताओं का सारांश, और इस मामले में आयोजित की गई हर सुनवाई में पेश होने वाले पक्षों और गवाहों का विवरण दिया जाएगा।

वाद को इस फैसले के अनुरूप दुबारा सुनवाई के लिए **प्रतिप्रेषित** किया जाता है।

महत्वपूर्ण – निम्नलिखित पृष्ठ देखें

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या.

यह आदेश दिया जाता है कि सभी हितबदध पक्षों को पुन: सुनवाई केसमय और सथान केबारे में विधिवत अधिसूचित किया जाएगा, और अपील रेफ़री परतिपरेषित सुनवाई के निषकषर में पूवर नियोजित सभी डाकेट संखयाओं का उपयोग करके नए निणरय की पहचान करेंगे।

यह भी आदेश दिया गया है कि इस निणरय के साथ अपील अनुभाग में भेजे गए परतिपरेषित अभिलेख के सभी दसतावेज सुनवाई के नोटिस के साथ अपील रेफ़री को अगरेषित किए जाएंगे, और कथित दसतावेजों को परदशरनीय के रूप में चिंहित किया जाएगा और कानूनी रूप से जरूरी अभिलेख को पूरा करने के लिए परतिपरेषित अपील रेफरी द्वारा अभिलेख में दजर किया जाएगा।

समीक्षा बोडर के सदसयों Susan Doeऔर John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस निणरय से सहमत हैं।

यह.

समीक्षा बोर्ड

____

अध्यक्ष

<u>सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए सूचना</u>

एक कानूनी प्रतिनिधि जैसा कि 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) में परिभाषित किया गया है (एक तीसरे पक्ष की कंपनी के नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा व्यवस्थापक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 and § 96-17(b) के अनुसार एक लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा पर्यवेक्षित व्यक्ति होना चाहिए। पर्यवेक्षण वकील की नोटिस और / या प्रमाणीकरण 04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार लिखित में होना चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व N.C. Gen. Stat. Ch. 84 के अनुपालन में होना चाहिए।**

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार, जब एक पक्षकार का अपना एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त होता है, तो पक्षकार को भेजे जाने वाले सभी दस्तावेज या कोई सूचना केवल उसके कानूनी प्रतिनिधि को ही भेजा जाएगा। पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उसी प्रकार लागू और प्रभावी होगी, जैसे कि उसे सीधे पक्षकार को भेजा गया है।

30 **जून**, 2013 **को या उसके बाद दायर किए गए दावों के लिए**, **दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय जो कि बाद में अपील होने पर उलट जाती है**, **से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के तहत है।** N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)**।**

याचिका दायर:

निर्णय प्रेषित किया गया: